

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - सी संख्या - 2939 वर्ष 2026

सौरभ तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विकास सिंह, महेन्द्र बहादुर सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी

अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे, तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य अनुतोष प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है:-

"क) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विपक्षी विशेष रूप से विपक्षी संख्या 2 (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)—को उसके क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ के माध्यम से यह आदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता के पासपोर्ट (पासपोर्ट संख्या LK3076020323525) का नवीनीकरण/पुनर्निर्माण करे।"

ख) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विपक्षी संख्या 3 से 4 को यह आदेश दिया जाए कि वे सत्यापन के उपरांत पूर्ण आख्या विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस मामले का निस्तारण, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ और 2 अन्य (रिट-सी संख्या 41540/2023; न्यूट्रल साइटेशन संख्या-2024:AHC:9963-डीबी)** के प्रकरण में दिए गए निर्णय के आलोक में किया जाए। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास तीन प्रकरणों से संबंधित है, जिनमें (i) मुकदमा अपराध संख्या 416 वर्ष 2018, विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत शामिल है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित की गई राशि याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही जमा की जा चुकी है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(ii) मुकदमा अपराध संख्या 137 वर्ष 2022, धारा 147, 323, 342, 354, 504 और 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत। इस संबंध में संबंधित न्यायालय को अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई है।

(iii) मुकदमा अपराध संख्या 269 वर्ष 2021 धारा 147, 323, 504 और 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत। थाना- जानकीपुरम, जिला- लखनऊ, जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रत्यर्थी(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे द्वारा खंडन किया गया है। उनका तर्क है कि **पवन कुमार राजभर (उपर्युक्त)** के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रीता वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य (याचिका/विशेष अनुज्ञा अपील (सी) संख्या 7481/2024)** के प्रकरण में दिनांक 20.09.2024 के निर्णय और आदेश के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है।

5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि **रीता वर्मा (उपर्युक्त)** के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **पवन कुमार राजभर (उपर्युक्त)** के प्रकरण के सिद्धांत को दोहराया गया था। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.10.2019 के जापन संख्या VI/401/1/5/2019 के संबंध में पूरी स्थिति की जाँच करने के पश्चात निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:-

4. जापन में स्पष्ट शब्दों के बावजूद उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में चुनौती दिए गए आदेश के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि यह कार्यालय जापन वैधानिक स्थिति के विपरीत है, और तदनुसार रिट याचिका को खारिज कर दिया।

5. हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश श्री मलक मनीष भट्ट और साथ ही भारत संघ की ओर से पेश विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज के तर्क सुने। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया है कि कार्यालय जापन वैधानिक स्थितियों के विपरीत है, विधि द्वारा समर्थित नहीं है, और यह भारत संघ का भी रुख नहीं है वह सही नहीं है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

कार्यालय जापन के आधार पर अपीलकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई व्यक्त नहीं की।

6. इस प्रकरण को देखते हुए हमारे लिए अधिकारियों को यह निर्देश देना ही पर्याप्त है कि वे 10.10.2019 के कार्यालय जापन या इस क्षेत्र से संबंधित किसी भी अन्य बाद के कार्यालय जापन के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण के आवेदन पर विचार करें; भले ही उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 6450 वर्ष 2024 में 28.02.2024 को कोई आदेश पारित किया हो। उचित आवेदन किए जाने पर उसका निस्तारण यथाशीघ्र किया जाएगा।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में हमारा यह मत है कि अधिकारियों को याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को पुनः जारी करने के आवेदन पर दिनांक 08.01.2025 के कार्यालय जापन या इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य बाद के कार्यालय जापन के आधार पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रीता वर्मा** (उपरोक्त) के प्रकरण में इस मुद्दे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है। **रीता वर्मा** (उपरोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि वर्तमान प्रकरण पर लागू होगी अतः हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे इस विषय पर विधि के अनुसार त्वरित कार्रवाई करें।

7. उपर्युक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

30 मार्च 2026

प्रवीन

(न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ), (न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी)

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”